भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2092
15 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

भारी औद्योगिक उपकरण और संयंत्र

2092. श्रीमती पूनम महाजन:
श्री जी.एम.सिद्देश्वर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान आयात किए गए भारी औद्योगिक उपकरणों और संयंत्रों का उद्योग- वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारी इंजीनियरिंग उपकरणों और संयंत्रों के आयात के बजाय देश में ही भारी इंजीनियरिंग उद्योग विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(ग) घरेलू स्तर पर इन्हें विकसित करके देश कितनी विदेशी मुद्रा की बचत कर सकता है;

(घ) क्या सरकार की योजना देश को भारी औद्योगिक उपकरणों और संयंत्रों के निर्यात हब के रूप में विकसित करने की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इन योजनाओं के क्या परिणाम हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क से ङ) : गत पांच वर्षों के दौरान आयात किए गए भारी औद्योगिक उपकरण और संयंत्रों का उद्योग-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन डॉलर में)

श्रेणी	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक भाग	4122.6	5146.7	5279.5	4685.5	4100.3
डाई, माउल्ड्स और प्रेस टूल्स	745.3	860.1	1007.4	1099.6	890.8
अर्थमूविंग और निर्माण मशीनरी	3443.1	3932.9	4492.3	3814.6	3421.1
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	1583.7	1647.4	2294.7	2292.7	2011.2
मशीन टूल्स	2263.3	2548.6	3534.1	3138.9	2213.2
प्लास्टिक मशीनरी	1065.7	1235.7	1349.0	1421.1	1026.2
प्रिंटिंग मशीनरी	190.7	218.4	245.2	191.0	139.5
कपड़ा मशीनरी	2002.2	2355.5	2113.5	1818.4	1328.3
कुल योग	**15416.6**	**17945.3**	**20315.7**	**18461.8**	**15130.6**

(स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)

साथ ही, उद्योग संघों से मिले इनपुट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारी विद्युत उपकरण क्षेत्र में आयात का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
55291	55,608	71,570	67,967	58,336

(स्रोत: डीजीसीआईएस, आईईईएमए)

घरेलू और निर्यात उद्देश्यों के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण अवसंरचना बढ़ाने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2014 में "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि" नामक एक स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत, 583.312 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन के साथ 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संबंधी कमियों, ढांचागत आवश्यकताओं और क्षेत्र की कुछ विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

- एमएसएमई को परीक्षण, प्रशिक्षण, प्रमाणन, साझा विनिर्माण, टूल रूम, कैलिब्रेशन सहित औद्योगिक समूहों को ढांचागत और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए चार उद्योग 4.0 समर्थ केंद्रों और 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफार्मों सहित पंद्रह सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, योजना के तहत उद्योग 4.0 के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

- प्रौद्योगिकी विकास के लिए आठ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए गए हैं जहां मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, अर्थ मूविंग मशीनरी, मेटलर्जिकल मशीनरी, वेल्डिंग, सबमर्सिबल पंप आदि क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है।
- भारत में मशीन टूल्स क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी में कर्नाटक के तुमकुरु में 530 एकड़ का विश्वस्तरीय मशीन टूल पार्क स्थापित किया गया है।
- स्कीम के प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कोष घटक के तहत पांच विदेशी विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण किया गया है।

स्कीम के तहत की गई प्रगति बहुत उत्साहजनक रही है। इस अवधि के दौरान उद्योग-शिक्षा जगत के सहयोग के माध्यम से मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, अर्थ मूविंग मशीनरी, नैनो और सेंसर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में 25 नई स्वदेशी तकनीकों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। इस तरह की और अधिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्कीम के दूसरे चरण को जनवरी, 2022 में अधिसूचित किया गया है।

घरेलू निर्माताओं को अधिप्राप्ति वरीयता प्रदान करने के लिए "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत, औद्योगिक स्टीम जेनरेटर / बॉयलर पर सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश जारी किया गया है।

***